



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

No.1/3/2002-Admin.II (CGHS)Pt/E.Office.118974

Dated:22/10/2026

सेवा में, / To,

**मेडिकल सुपरिंटेंडेंट/अधिकृत प्रतिनिधि / The Medical Superintendent/Authorized Representative,
संलग्न सूची के अनुसार / As per list attached.**

विषय: ICMR के CGHS लाभार्थियों को Credit Facility उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। परिषद के नियमित कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों, जो वैध CGHS Cards धारित करते हैं, को CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध अस्पतालों तथा निजी प्रयोगशालाओं/नैदानिक/इमेजिंग केन्द्रों में चिकित्सा उपचार एवं आवश्यक जांच/नैदानिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे CGHS लाभार्थियों की सुविधा के लिए आपके संस्थान/प्रयोगशालाओं/नैदानिक/इमेजिंग केन्द्रों में निर्धारित CGHS rates एवं लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार Credit Facility उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

Hospital के मामले में, कृपया ICMR के CGHS लाभार्थियों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित में से लागू विकल्प के सामने (✓) अंकित करते हुए अपनी सहमति प्रदान करने का कष्ट करें:

1. Emergency
2. IPD
3. OPD
4. All of the above

क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत आपातकालीन उपचार (Emergency) के मामले में वैध CGHS Card एवं ICMR पहचान-पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के आधार पर आवश्यक उपचार प्रदान किए जाने का अनुरोध है। आपातकालीन उपचार के मामले में CMO, CGHS/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist) के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य स्थिति में, वैध CGHS कार्ड प्रस्तुत करने तथा संबंधित डिस्पेंसरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) से अनुमति लेने पर IPD/Admission की अनुमति दी जा सकती है। यदि मरीज को उपचार हेतु CGHS/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist) द्वारा रेफर किया गया हो, तो उपचार निर्धारित CGHS दरों के अनुसार उपचार प्रदान किया जाए तथा संबंधित बिल आवश्यक दस्तावेजों सहित ICMR के संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं।

Laboratory/Diagnostic/Imaging Centre के मामले में, ICMR के CGHS लाभार्थियों को आवश्यक प्रयोगशाला जांच, नैदानिक जांच एवं इमेजिंग संबंधी प्रक्रियाओं हेतु भी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध है। उक्त सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया एवं लागू CGHS दरों के अनुसार ही प्रदान की जाएं तथा संबंधित बिल आवश्यक दस्तावेजों सहित ICMR के संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं।

आवश्यक दस्तावेज एवं बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

किसी भी Hospital Treatment/Laboratory Test/Diagnostic/Imaging Procedure हेतु Credit Facility का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने होंगे:

1. वैध CGHS Card की प्रति।
2. ICMR पहचान-पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की प्रति।

3. आश्रित परिवार के सदस्य के मामले में, संबंधित आश्रित सदस्य द्वारा अपना CGHS कार्ड तथा परिवार के मुखिया अर्थात् ICMR कर्मचारी/पेंशनर के CGHS कार्ड और आई-कार्ड/पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
4. अस्पताल में भर्ती (OPD/IPD/Admission) के मामले में, CMO, CGHS अथवा सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आपातकालीन उपचार के मामले में उक्त चिकित्सकीय पर्चा प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामलों में आपातकालीन प्रमाण-पत्र (Emergency Certificate) संबंधित दावे के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त दस्तावेजों को संबंधित Hospital/Laboratory/Diagnostic/Imaging Centre के Bill एवं Mandate Form के साथ भुगतान हेतु संबंधित ICMR कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

Hospital/Diagnostic Centre द्वारा विधिवत पूर्ण Bill एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने तथा Bill प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 30 दिनों के अंदर भुगतान किए जाने का पूर्ण प्रयास रहेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि ICMR के CGHS लाभार्थियों को Credit Facility उपलब्ध कराने हेतु अपनी सहमति प्रदान करें। यदि आपका संस्थान Hospital है, तो उपर्युक्त तीन विकल्पों में से लागू विकल्प के सामने (✓) अंकित करें। यदि एक से अधिक विकल्प लागू हों, तो संबंधित सभी विकल्पों के सामने (✓) अंकित किए जा सकते हैं। यदि आपका संस्थान Laboratory/Diagnostic/Imaging Centre है, तो Credit Facility के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विवरण भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि Credit Facility उपलब्ध कराने के संबंध में आपके संस्थान की कोई विशेष Terms & Conditions, आवश्यक औपचारिकताएं अथवा दस्तावेज अपेक्षित हों, तो उनका विवरण भी उपलब्ध करें, ताकि इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी सहमति/पुष्टि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराए।

Digitally signed by
Jaibir Singh
Date: 23-10-2026
18:51:42
(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. एम.आर. सेल, आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. निदेशक, आईसीएमआर – i)NIRDH (NIMS), New Delhi, ii) NICHR (NIP), New Delhi, iii)NIMR, Dwarka, iv) NICPR, Noida
3. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।